जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति

जमशेदपुर - 831001

(झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2000 की धारा 188 एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपनियम की कंडिका 7.1 के तहत स्वीकृति)

बिल्डींग परमिट संख्या 27408 दिनांक 29.9.08

सेवा में,

दी ट्रस्टीज ऑफ आर्य समाज,
ताप्ती रोड, नार्दन टाउन,
जमशेदपुर।

महाशय,

नया प्लाट सं0 5, खाता सं0 245, अक्षेस वार्ड सं0 7 हो0 सं0 शून्य, ताप्ती रोड, नार्दन टाउन, दी ट्रस्टीज ऑफ आर्य समाज द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में पूर्व से निर्मित विद्यालय भवन के विस्तार एवं निर्मित भवन के दो भागों में 3rd floor तक निर्माण तथा हवन् मंडप निर्माण हेतु भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तो पर दी जाती है :-

1. आवेदक द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाए जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी भी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की उँचाई / मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी।
3. भवन प्लान में सेट बैक एवं ड्राइव वे के लिए दिखाई गयी खूली जगह एवं अन्य खूली जगह में किसी प्रकार का निर्माण नही करना होगा।
4. निर्माण की गुणवत्ता झारखंड लोक निर्माण विभाग / भारतीय मानक के विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं सरंचना के सही रूपांकण अद्यतन भारतीय मानकों (Indian Standered) के साथ-साथ IS 1893-2002 के भूकम्प रोधी मानक के आधार पर किया जाये। निर्माण कार्य सरंचना के सही रूपांकन एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञाप्तिधारी अभियन्ता के साथ-साथ निर्माणकर्त्ता पर होगा।
5. निर्माणकर्त्ता / अनुज्ञाप्तिधारी अभियन्ता को निर्माण कार्य आरम्भ होने की सूचना विशेषकर पर प्लीन्थ / भूमि तल तक निर्माण हो जाने के बाद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय को देनी होगी एवं दस दिनों के अन्दर इसकी जाँच कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
6. निर्माणकर्त्ता को विधुत आपूर्ति की व्यवस्था के साथ-साथ ट्रांस्फरमर की व्यवस्था करनी होगी। विधुत आपूर्ति की वैकल्पिक रूप में पर्याप्त क्षमता वाला ध्वनि व प्रदूषण रहित जेनरेटर लगाना होगा।
7. निर्माणकर्त्ता को जुस्को से जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जल निकाशी की समुचित व्यवस्था करनी होगी।
8. अग्नि सुरक्षा के लिए प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी, झारखंड राँची के पत्रांक 274, दिनांक 04.09.08 में वर्णित उपबंधों का शत प्रतिशत पालन करना होगा।
9. Rain water Harvesting के साथ Ground water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित रूप से करना होगा।
10. भवन निर्माण में 50% फलाई एस बीक्स (Fly Ash Bricks) का प्रयोग करना होगा।
11. चहारदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन-उपनियम के अनुसार किया जाएगा। विधुततड़ित चालक (Lightning Conductor) की व्यवस्था मानक के अनुसार निश्चित रूप से करनीं होगी।
12. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड (सुचना पट) लगाना होगा, जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्त्ता का नाम एवं पता, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान का परमिट संख्या कुल स्वीकृत तल आदि का विवरण देना होगा।
13. स्वीकृत भवन प्लान की वैधता तीन वर्ष तक रहेगी। इस अवधि में निर्माण कार्य पूरा करना होगा। भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय को विहित प्रपत्र में सूचना देनी होगी तथा Occupancy Certificate प्राप्त किये बिना Occupancy नही दी जा सकेगी।
14. भवन निर्माण के दौरन जमशेदपुर अक्षेस द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है, तो उसे निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. अक्षेस के प्लानिंग स्टेनडर्ड एवं बिल्ड़ीग बाइलाज 2007 में वर्णित अन्य प्रभावी कंडिकाओं का पालन करना होगा।
16. भवन प्लान की स्वीकृति से भूमि पर स्वामित्व का दावा मान्य नहीं होगा। माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि / सरकारी भूमि / अदिवासी खाता की भूमि / किसी अन्य की टाइटिल वाली भूमि पर किसी भी हालात में भवन निर्माण नही किया जायेगा, अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।

29.9.2008

सहायक अभियन्ता,
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति।

विशेष पदाधिकारी,
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति।